तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/5068/2004/सीकर सत्यभामादेवी व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

एकलपीठ

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थित–

श्री अजीत लोढा अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोकनाथ अभिभाषक अप्रार्थी
श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 27.01.2021

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 8–9–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 63 दिनांक 26.03.1967 वह प्रथम दृष्टया ही जाहिर कर रहा था कि मूल खातेदार कन्हैयालाल के अंकन के आगे फर्जी तरीके से सत्यनारायण व रामपाल का नाम गलत अंकित कर दिया गया जिसका अभी साक्ष्य में परीक्षण होना शेष था इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तथा गिरदावरी स्लीपों एवं लिखित तहरीर सम्वत 2009 की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जो कि स्पष्टतया जाहिर कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/5068/2004/सीकर सत्यभामादेवी व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

रहा था कि मूल काश्तकार कन्हैयालाल ही था ना कि सत्यनारायण व रामपाल इस सम्बन्ध में उक्तलिखित तहरीर सम्वत 2009 भी एक सर्वोतम साक्ष्य के लिए दस्तावेज था जो कि मूल खातेदार लादूराम ने जमीन के हक के सम्बन्ध में स्वयं कन्हैयालाल के खातेदारी हक को स्वीकार किया था जिन दस्तावेजातों की और अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र बिना सक्षम आधार के खारिज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगराधीन आदेश के विधिसम्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न विवादित आराजी पैतृक सम्पति है जिससे कि वादग्रस्त आराजी में उसका हक प्रमाणित होता हो। इसलिये विचारण न्यायालय ने प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत नकल जमाबन्दी सम्बत 2017–20, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2009–12,2013–2019, लगान की रसीदें सम्बत2019–2026 की प्रतियां पेश की हैं, जो असल से मिलान कर प्रमाणित प्रतियां नहीं है इसलिये इन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत जमाबन्दी सम्बत 2021–2024 सम्बत 2029–32,2033–2036 की नकलें प्रस्तुत की हैं जो कि राजस्व अभिलेख की प्रमाणित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/5068/2004/सीकर सत्यभामादेवी व अन्य बनाम सत्यनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

प्रतियां है जो पब्लिक दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज हैं। इसलिये इनको रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार हो ऐसा कोई प्रमाण उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और वादग्रस्त आराजी पैतृक हो इस बाबत भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में जो दस्तावेज पेश किये हैं उनसे वादग्रस्त आराजी प्रथम दृष्टया स्वअर्जित होना प्रमाणित होता है। फिर भी यदि प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी में अपना हित निहित होना मानती है तो वह सक्षम न्यायालय में अपने हकों के लिये चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य